B.M.A. College Baheri Darbhanga (LNMU)
B.A (Hons) Part - I Paper - I

Dr S.K. Singh
Deptt of Economics

उत्पत्ति ह्रास नियम का क्षेत्र,

(SCOPE OF THE LAW OF DIMINISHING RETURNS)

उत्पत्ति ह्रास नियम निम्न क्षेत्रों में लागू होता है:

(1) खान व्यवसाय में (Mines) - उत्पत्ति ह्रास नियम खान व्यवसाय में निम्न प्रकार लागू होता है:

(i) प्रथम रीति या विस्तृत रीति (First Method or Extensive Method) खनिज खदान का मालिक सबसे पहले उस स्थान पर खनिजों को खुदाई करेगा, जहां उसे आसानी से श्रमिक, यातायात व बाजार की सुविधा उपलब्ध हो सके। जब इन खानों का खनिज समाप्त होता है तब वह बाजार व आबादी से दूरी की खानों की ओर बढ़ता है। इस प्रकार दूसरी खानों की उत्पादन लागत पहली खानों की उत्पादन लागत की अपेक्षा ऊंची होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि खान व्यवसाय में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है।

(ii) द्वितीय रीति या गहरी रीति (Second Method or Intensive Method)- कभी-कभी खान का मालिक एक ही खान से अधिकाधिक खनिज प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जब खान कम गहरी होती है, तब खान के भीतर विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं। ज्यों ज्यों खान गहरी होती जाती है, त्यों त्यों खान के अन्दर मजदूरों के रख-रखाव पर अधिक व्यय करना होता है। रख-रखाव के अन्तर्गत ऑक्सीजन, रोशनी, पानी, आने-जाने, सुरक्षा, पोशाक, क्रेन तथा आधुनिक यन्त्र, आदि की व्यवस्था करना है। इन सब व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। जब खान के मुहाने से खनिज प्राप्त किया जा रहा था तब इस प्रकार के व्यय नहीं होते थे, परिणामस्वरूप खनिज की उत्पादन लागत कम बैठती थी, परन्तु अब खनिजों को गहराई से निकाला जा रहा है तब उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। परिणामस्वरूप उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है।

(2) मछली पकड़ने के व्यवसाय में (Fisheries) - उत्पत्ति ह्रास नियम मछली पकड़ने के व्यवसाय में भी लागू होता है। नदी, तालाब व झील में ज्यों ज्यों मछली पकड़ने के लिए जाल डाले जाते हैं त्यों-त्यों मछलियों की मात्रा में कमी आती जाती है जिससे मछली पकड़ने की दर कम होती है और खर्चा बढ़ जाता है

B.M.A. College Baheri Darbhanga (LNMU)
B.A (Hons) Part-I Paper-II

14-09-2020

भारत में बेरोजगारी का अनुमान.

Dr. S.K. Singh
Deptt of Economics

(ESTIMATE OF UNEMPLOYMENT IN INDIA)

भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पायी जाती है, परन्तु आंकड़ों के अभाव में सही ढंग से इसकी मात्रा की माप नहीं की जा सकी है। ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में तो आंकड़ों का बहुत अभाव है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी को मापना बहुत ही कठिन काम है। शहरी बेरोजगारी के सम्बंध में भी आंकड़े अपर्याप्त है। ये आंकड़े रोजगार कार्यालय द्वारा तैयार किए जाते है। चूंकि देश में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है अतः बहुत से बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं कराते। कुछ लोग ऐसे भी होते है जो रोजगार में लगे रहते है, परन्तु अच्छी नौकरी प्राप्त करने की उम्मीद में अपना नाम रोजगार कार्यालयों में लिखाये रहते है। इस तरह भारत में बेरोजगारी का सही सही अनुमान लगाना कठिन है। भारत में बेरोजगारी के सम्बंध में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी स्तर पर अनुमान के रूप में जो सूचनाएं एकत्र कि गयी है उनसे यह स्पष्ट होता है, कि पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण रोजगार का उद्देश्य प्राप्त करने में सर्वथा असमर्थ रही है। प्रत्येक अगली योजना के दौरान बेरोजगार लोगों कि संख्या में वृद्धि होती गयी है। यह बात नहीं है, कि योजनाकाल में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई, रोजगार में बढ़ा लेकिन इस गति से नहीं जिस गति में श्रमिकों की संख्या बढ़ी। फलस्वरूप योजनाकाल में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 33 लाख लोग बेरोजगार थे, परन्तु इस योजना के अन्त तक बेरोजगार लोगों कि संख्या बढ़कर 53 लाख हो गयी। इसी तरह दूसरी योजना के अन्त तक 71 लाख, तीसरी योजना के अन्त तक 96 लाख तीन वार्षिक योजनाओं में बेरोजगारी में बहुत भारी वृद्धि हुई।